मैमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैडिंग
(MoU)

शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार **(प्रथम पक्ष)** एवं ..... (सार्वजनिक उपक्रम/औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम) **(द्वितीय पक्ष)** के बीच विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण एवं उसके रख–रखाव हेतु यह एम.ओ.यू. किया जा रहा हैं, जो कि आज दिनांक..... .....से तीन वर्ष पश्चात तक रख–रखाव की समयावधि दिनांक .....तक वैध रहेगा।

यह एम.ओ.यू. **''स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय अभियान''** अंतर्गत राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों में शौचालयों की आवश्यकतानुसार निर्माण एवं उसके रख–रखाव हेतु किया जा रहा है जो निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा :–

1. **कार्य**

   द्वितीय पक्ष ..... विद्यालयों में .....शौचालय संलग्न सूची अनुसार निर्माण कराये जाने हेतु सहमत है एवं इनके तकमीने अनुसार इसके निर्माण एवं रख–रखाव पर होने वाले पूर्ण व्यय को वहन करने की सहमति इस एम.ओ.यू. द्वारा दी जा रही है।

2. **स्थल का चयन**

   विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु साईट चयन का अधिकार प्रथम पक्ष की ओर से सम्बन्धित विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति को होगा।

3. **तकनीकी मापदण्ड**

   विद्यालय में शौचालयों का निर्माण प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित ड्राईंग एवं डिजाईन अनुसार अथवा उससे उच्च कोटि के मापदण्ड द्वारा निर्माण कराया जाएगा।

4. **कार्यकारी एजेन्सी**

   शौचालयों के निर्माण कार्यो हेतु कार्यकारी एजेन्सी

   - द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत ऐजेन्सी/व्यक्ति से

   अथवा

   - प्रथम पक्ष की ओर से विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति होगी। निर्माण कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति से करवाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा एक मुश्त राशि जिला कार्यालय में हस्तान्तरित की जायेगी तथा जिला कार्यालय द्वारा राशि विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

5. **रख–रखाव**

शौचालयो के निर्माण पश्चात इनके रख–रखाव/मरम्मत कार्य निम्नानुसार किये जायेंगे :–

- द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण से तीन वर्ष तक शौचालय ईकाई का रख–रखाव/मरम्मत किये जायेंगे।

अथवा

- प्रथम पक्ष की ओर से विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति द्वारा शौचालय ईकाई का रख–रखाव/मरम्मत किये जायेंगे। इस स्थिति मे द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण से तीन वर्ष तक के लिए आवश्यक निर्धारित राशि सम्बन्धित जिला कार्यालय में हस्तान्तरित की जायेगी तथा जिला कार्यालय द्वारा एक मुश्त राशि विद्यालय विकास एवं प्रबंन्धन समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. **निर्माण अवधि**

शौचालय के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि स्वीकृति दिनांक से तीन माह तक होगी।

7. **निर्माण कार्यो की प्रगति**

प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के साथ विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु प्रगति की समीक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार बैठक ली जा सकती है। विद्यालयों में शौचालय निर्माण की पाक्षिक प्रगति प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

8. **गुणवत्ता नियंत्रण**

विद्यालय में शौचालय के निर्माण के दौरान गुणवत्तायुक्त निर्माण हेतु विशेष मॉनिटरिंग की जावेगी जो कि ब्लाक स्तर पर प्रथम पक्ष के पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता/प्रतिनिधि द्वारा एवं जिलें के सहायक अभियन्ता द्वारा की जावेंगी। निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया जावेंगा कि शौचालय के समस्त कम्पोनेंट का निर्माण गुणवत्तायुक्त किया गया है।

9. **कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र**

विद्यालय में शौचालय निर्माण पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बधित द्वितीय पक्ष द्वारा (द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण करने की स्थिति में)/प्रथम पक्ष के तकनीकी अधिकारियो द्वारा (विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के माध्यम से निर्माण करने की स्थिति में) जारी किया जावेंगा।

10. **स्वामित्व**

- विद्यालय में शौचालय के निर्माण पश्चात् शौचालय प्रथम पक्ष की सम्पत्ति होगी।
- सम्बन्धित द्वितीय पक्ष निर्मित किये जाने वाले शौचालय पर द्वितीय पक्ष का नाम इत्यादि अंकित कर सकते है।

एम.ओ.यू. में दोनो पक्षों की आपसी सहमति उपरान्त आवश्यक संशोधन किये जा सकते है।

प्रथम पक्ष : जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	द्वितीय पक्ष : (सार्वजनिक उपक्रम/औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम .....)
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
नाम :	नाम :
पद :	पद :
कार्यालय पता :	कार्यालय पता :
मो. न.	मो. न. :
ई–मेल एड्रेस :	ई–मेल एड्रेस :

प्रथम गवाह :	द्वितीय गवाह :
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
नाम :	नाम :
पद :	पद :
पता :	पता :
मो. न.	मो. न.